एफ-28011/22/11-सीडीएन/510

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

भूमि एवं विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर, 2011

कार्यालय आदेश सं. 06/11

विषयः- तीव्रतर स्थानापन्न के लिए नीति का संशोधन

कार्यालय आदेश सं. 14/2009 दिनांक 30.10.2009 के पैरा 2(i) में उल्लिखित प्रावधान, जिसमें प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संपत्ति का निरीक्षण करने का निर्णय किया गया था, (यदि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से गत तीन वर्षो के भीतर संपत्ति का निरीक्षण नहीं किया गया था), के अधिक्रमण में यह निर्णय किया गया है कि 01.01.2012 को या इसके बाद प्रतिस्थापन के लिए प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई करते समय संपत्ति की जांच नहीं की जाएगी।

2. यह प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया है ताकि विलंब में कमी आए और पट्टाधारक को पारदर्शी तरीके से तीव्रतर सेवा सुनिश्चित की जा सके।

3. यह शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

30/12/2011

(सुमित गाखर)

उप भूमि एवं विकास अधिकारी

सेवा में,

1. शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव (शहरी विकास) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव,
3. भूमि एवं विकास अधिकारी के निजी सचिव,
4. सभी अधिकारी,
5. सभी अनुभाग,
6. सीडीएन अनुभाग की गार्ड फाइल